163/157

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश
Directorate of Technical Education Uttar Pradesh
विकास नगर, कानपुर–208002
Vikas Nagar, Kanpur-208002
वेबसाइट/website : http://upted.gov.in/directorate
दूरभाष/Phone: 2582084 • फैक्स/Fax: 2580965 • ई–मेल/email:directordteup@gmail.com

(–अवधेश
01/07/22)

:: आदेश ::

प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेकनिकों के समूह "ख" श्रेणी में तैनात निम्नलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री :–	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1.	अवधेश कुमार, व्याख्याता इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	महामाया पालीटेकनिक ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी अनौगी, कन्नौज	राजकीय पालीटेकनिक, लखनऊ	स्वयं के अनुरोध पर।

उपरिलिखित कार्मिक में से, जिन कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आयोजित सम–सेमेस्टर परीक्षा/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर/विशेष बैक पेपर परीक्षा जून, 2022 एवं मल्टी प्वाइंट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम परीक्षा, जून–2022 समाप्ति के पश्चात् तत्काल कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956' के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999' यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक–संख्या–11/2022/363–सामान्य/सैंतालिस–का–4–2022–1/3/96, दिनांक 15.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

(मनोज कुमार)
निदेशक।

संख्या–14348–61/ई–2–दो–134(पी)(2022–23),कानपुर:दिनांक: 30 जून, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2, विधान भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।